रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 877] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 2006/श्रावण 19, 1928

No. 877] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 2006/SRAVANA 19, 1928

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2006

का.आ. 1277(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8 अगस्त, 2006 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 7, धारा 9, धारा 13 नई धारा 15क को छोड़कर, धारा 17 खंड (i) को छोड़कर, धारा 18, धारा 23, धारा 24, धारा 29, धारा 30 और धारा 31 प्रवृत्त होंगी ।

[फा. सं. 5/27/2006-सी.एल.-5]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2006

S.O. 1277(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Company Secretaries (Amendment) Act, 2006, the Central Government hereby appoints 8th day of August, 2006, as the date on which Sections 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13 except new Section 15A, 17 except clause (i), 18, 23, 24, 29, 30 and 31 of the said Act, shall come into force.

[F. No. 5/27/2006-C.L.-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

2447 GI/2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode